

अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,

महोदय,

मुझे जाति का प्रमाण पत्र नौकरी/व्यवसाय/ऋण/विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यकता है। अतः करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे नियमानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जावें।

..... जाति तथा साधारणतया निवास से संबंधित प्रश्नों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. प्रार्थी का नाम :
1. प्रार्थी के माता – पिता का नाम :
2. प्रार्थी की जाति :
3. प्रार्थी के पिता/पति की जाति :
4. प्रार्थी की आयु :
5. प्रार्थी के पिता का व्यवसाय जाति एवं तहसील
उपखण्ड जिला व प्रदेश सहित निवास व अवधि
6. प्रार्थी का जन्म स्थान
7. प्रार्थी के शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति
धर्म का अंकन है
8. प्रार्थी ने इससे पूर्व कोई प्रमाण पत्र अनुसूचित
जाति/अनु.जनजाति का लिया हो तो
उसका विवरण
9. यह प्रार्थना पत्र देने की तिथि से राजस्थान की
कोटा तहसील में रहने की अवधि
11. प्रार्थी का पूरा पता एवं निवास करने की अवधि
.....
.....

उपरोक्त लिखित विवरण मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है।

हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांक

स्थान

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें :-

1. शपथ पत्र पांच रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर
2. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
3. मूल निवास का प्रमाण पत्र

गवाह नं. 1
मैं पुत्र श्री
निवासी का हूँ।
वर्तमान में मैं पद विभाग
में कार्यरत हूँ।
मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासी को
भली प्रकार से जानता हूँ कि जाति से है।

हस्ताक्षर गवाह

गवाह नं. 2
मैं पुत्र श्री
निवासी का हूँ।
वर्तमान में मैं पद विभाग
में कार्यरत हूँ।
मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासी को
भली प्रकार से जानता हूँ कि जाति से है।

हस्ताक्षर गवाह

पटवारी हल्का जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार रिपोर्ट पटवारी हल्का

जांच गवाह एवं शपथ पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नि निवासी
के/की है। यह जाति से है।
प्रार्थी का राशन कार्ड नं. दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी

हल्का नं.

कार्यालय कार्यवाही

उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित है
अथवा

जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। कारण

जारी किये जाये।

प्राप्त किया अथवा सूचित हुआ

जाति प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुपुत्र श्री
..... निवासी ग्राम जिला
..... समुदाय के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूचि) संशोधन अधिनियम 1958 संविधान अण्डमान निकोबा अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1958 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है श्री और इनका परिवार साधारणतः नगर राज्य
संघ क्षेत्र के जिला
के निवासी है।

आज दिनांक को यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर
पद
कार्यालय की मोहर
राज्य संघ राज्य क्षेत्र

नोट : यह प्रयोग साधारणतः निवासी का अब वही होगा जो कि रिप्रजेन्टेशन आफ पीपूल्स एक्ट 1956 की धारा 20 में हैं।